न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया, IAS जिला कलक्टर, कोटा
प्रकरण संख्या 03/2025

कालूलाल आत्मज बद्रीलाल धाकड़ निवासी ग्राम खडिया, तहसील सांगोद जिला कोटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

निर्णय

दिनांक 02.07.2025

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री कालूलाल आत्मज बद्रीलाल धाकड़ निवासी ग्राम खडिया, तहसील सांगोद जिला कोटा ने दिनांक 12.04.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां आवेदन प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई –

1. वर्ष 1999 की वार्ड नं0 1 ग्राम पंचायत खडिया श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह के आवेदन की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति सूचना चाही गई ।

उक्त सूचना नहीं मिलने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.06.2025 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय को 04.06.2025 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा से टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक/रीडर/डीएम/2025/180 दिनांक 19.6.2025 से लिखा गया तथा अपीलार्थी को भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पत्रांक/181 दिनांक 19.6.2025 से लिखा गया किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा ने अपने पत्रांक/प्रथम अपील/प–59/2025/210 दिनांक 23.6.2025 से प्रकरण में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन में वांछित सूचना का संबंध निर्वाचन अनुभाग से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी निर्वाचन अनुभाग को पत्र लिखा गया । निर्वाचन अनुभाग के पत्रांक/479 दिनांक 12.5.2025 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर से चुनाव प्रक्रिया संबंधी अभिलेखों /रिकार्ड के निस्तारण हेतु प्राप्त मार्गदर्शन के आधार नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र साधारण परिस्थितियों में 06 वर्ष की अवधि से पूर्व का है, जो कि तलफ कर दिया गया है । उक्त सूचना दिया जाना संभव नहीं है । चूंकि आवेदक को इसकी सूचना अनुभाग के पत्रांक/151 दिनांक 16.5.2025 से कर दी गयी है इसके उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील खारिज हेतु निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2025 का अवलोकन किया, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी एवं पत्रादि का अवलोकन किया जिससे जाहिर हो रहा है कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निर्वाचन अनुभाग से सम्बन्धित है तथा अनुभाग से प्राप्त सूचनानुसार चाही गई सूचना वर्ष 1999 की है जो 6 वर्ष से अधिक समय की है तथा चुनाव सम्बन्धी रेकार्ड नामांकन, एवं शपथ पत्र साधारण परिस्थितियों में 6 वर्ष तक की अवधि के लिए ही सुरक्षित रखा जाता है तत्पश्चात तलफ कर दिया जाता है, तथा वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/151 दिनांक 16.5.2025 से आवेदक अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया है । इस प्रकार प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिया जाना संभव नहीं होने से अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 2.7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा